E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संचिका सं0–03 / भू0अ0नि0 (5) अपील–33 / 2023..........................

आदेश

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश सं0–4451 दिनांक–29.05. 2023 के विरूद्ध अपीलार्थी श्री मो0 इरशाद आलम, (Emp. ID No.- SKN00773), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया द्वारा "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई की गयी।

उभय पक्ष उपस्थित।

अपीलार्थी का वाद संक्षिप्त रूप में निम्नवत है:–

बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक–22– । दिनांक–30.01.2023 के द्वारा मो0 इरशाद आलम, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया के विरूद्ध इनके शिविर अधीनस्थ पदस्थापित विशेष सर्वेक्षण अमीन, श्री आशुतोष कुमार अमन द्वारा रैयतों से अवैध राशि की उगाही से संबंधित वायरल विडियो पर कोई कार्रवाई नहीं करने, साक्ष्य को छुपाने, भ्रष्टाचार में संलिप्तता तथा कार्य में लापरवाही का आरोप प्रतिवेदित करते हुए मो0 आलम की संविदा नियोजन समाप्त करने की अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के दिनांक–02.03.2023 के द्वारा मो0 आलम से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। अपीलार्थी द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

प्राप्त स्पष्टीकरण में अपीलार्थी द्वारा अंकित किया गया है कि ग्रामीण श्री दहिचन सिंह द्वारा विशेष सर्वेक्षण अमीन के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पर मेरे द्वारा स्थलीय जाँच किया गया। जाँचोपरान्त परिवाद को अपीलार्थी द्वारा निराधार बताया गया है। साथ ही वायरल विडियो के संबंध में तर्क दिया गया है कि Unknown Number से विडियो प्राप्त होने के कारण उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। परिवादी जाँच से संतुष्ट थे इसलिए मुख्यालय को सूचना नहीं दी गयी। अपीलार्थी द्वारा स्पष्टीकरण में स्थलीय जाँच प्रतिवेदन तथा परिवादी द्वारा आरोप वापस लेने संबंधी शपथ पत्र संलग्न किया गया है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप तदनुसार प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा निदेशक, भू–अभिलेख परिमाप, बिहार, पटना द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि अपीलार्थी का स्पष्टीकरण तथ्यहीन है। अपीलार्थी विशेष सर्वेक्षण जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए प्रतिनियुक्त है, अगर इन्हें किसी स्त्रोत से भ्रष्टाचार जैसी सूचना प्राप्त हुई थी, तो इस तथ्य से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाना चाहिए था। साथ ही अपीलार्थी का कहना है कि Unknown Number से विडियो प्राप्त होने के बाद ध्यान नहीं दिया गया जो कि बिल्कुल अतार्किक (illogical) है। Unknown Number से ही रिश्वत के लेन–देन जैसे मामले की सूचना पदाधिकारी / कर्मी को दिया जाता है ताकि तत्क्षण कार्रवाई हो सके। परिवादी के शपथ पत्र के संबंध में उक्त जिले के लिए नामित नोडल पदाधिकारी द्वारा संचिका में मंतव्य गठित किया गया है कि परिवादी से दूरभाष पर संपर्क किया गया है, जिसमें यह पुष्टि हुई है कि परिवादी द्वारा कोई शपथ पत्र नहीं दिया गया है। साथ ही यह भी मंतव्य अंकित है कि यह शपथ पत्र फर्जी प्रतीत होता है। अपीलार्थी के कृत्य से स्पष्ट है कि इनके द्वारा भ्रष्टाचार जैसे मामले में अपने अधीनस्थ विशेष सर्वेक्षण अमीन को सहयोग दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों तथा बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा लगाए गए आरोप के प्रमाणिकता, भ्रष्टाचार में संलिप्त अपने अधीनस्थ कर्मी को सहयोग देने के साथ–साथ भ्रष्टाचार जैसे वायरल विडियो को भी छुपाने का प्रयास किया गया है, इसको दृष्टिगत रखते हुए इनका संविदा नियोजन समाप्त किया गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि मौजा–गवास, थाना नं0–127 के रैयत श्री दहीचन सिंह द्वारा आवेदन के माध्यम से विशेष सर्वेक्षण अमीन, श्री आशुतोष कुमार अमन पर सर्वेक्षण कार्य में खाता, खेसरा एवं चौहद्दी की प्रविष्टि के लिए 4,000/–रूपये तथा जमीन का म्युटेशन नहीं रहने की स्थिति में 10,000–12,000/–रूपये रिश्वत की मांग की शिकायत की गयी। इसके अतिरिक्त Unknown Number से Whatsapp पर एक विडियो प्राप्त हुआ, जिसमें एक महिला, विशेष सर्वेक्षण अमीन श्री आशुतोष को 300/–रूपये देती हुई दिखाई दे रही है। अपीलार्थी का आगे कहना है कि प्राप्त शिकायत पर मेरे द्वारा स्थल का निरीक्षण/जाँच की गयी जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा अमीन पर लगाये गये आरोप को झुठा बताया गया, स्थानीय लोगों द्वारा यह भी बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा इस मामले में गलत जानकारी दी है। शिकायतकर्त्ता द्वारा इस मामले में शपथ–पत्र दिया गया है कि दूसरे के बहकावे में आकर शिकायत दर्ज किया गया है।

अपीलार्थी के उक्त कथन की जाँच हेतु तत्कालीन अपीलीय प्राधिकार द्वारा पुनः जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। उक्त के आलोक में संबंधित जिला के पदाधिकारियों द्वारा मामले की पुनः जाँच की गयी। जाँचोपरांत पाया गया है कि तत्कालीन विशेष सर्वेक्षण अमीन श्री आशुतोष कुमार अमन के द्वारा खुलेआम पैसे की मांग की जाती थी। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का उक्त पैसे उगाही में प्रत्यक्ष रूप से कोई संलिप्तता नहीं है तथा इनके द्वारा विशेष सर्वेक्षण अमीन श्री आशुतोष कुमार अमन के उपर लगाये गये आरोपों को असत्य प्रतिवेदित करना तथ्य से परे है। स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में किये गये जाँच की फोटोग्राफ एवं ग्रामीणों का हस्ताक्षर प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर उपलब्ध करायी गयी है।

अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील, निदेशालय का मंतव्य एवं संलग्न अभिलेख के विवेचनोपरांत पाया गया कि मो0 आलम, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो द्वारा रैयत से प्राप्त आवेदन एवं Whatsapp Group पर प्राप्त विडियो क्लिप पर गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया गया है। अपने अधीनस्थ पदस्थापित अमीन के कुकृत्य को वरीय पदाधिकारी से अवगत न कराकर अपने स्तर से जाँच कर मामले को असत्य बताना, फर्जी दस्तावेज (शपथ–पत्र) संलग्न कर अमीन द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार को छिपाकर मामले की लीपा–पोती का प्रयास किया गया है, जबकि प्रासंगिक मामले में संविदा अमीन श्री आशुतोष कुमार अमन द्वारा रैयतों से खुलेआम रिश्वत की मांग की जाती रही थी। नोडल पदाधिकारी द्वारा परिवादी दहीचन सिंह के शपथ पत्र को प्रथम दृष्टया फर्जी पाया है। बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं स्थलीय निरीक्षण के उपरांत प्राप्त प्रतिवेदन से प्रमाणित है कि मो0 आलम अपने अधीनस्थ कर्मी के कुकृत्य छुपाने एवं भ्रष्टाचार में सहभागी थे।

उक्त विवेचना के आलोक में निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आदेश संख्या–4451 दिनांक–29.05.2023 में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः मो0 इरशाद आलम, (Emp. ID No.- SKN00773), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया द्वारा दायर अपील को अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–33/2023....13794.....**पटना, दिनांक :–** 18/09/2024

प्रतिलिपिः– मो0 इरशाद आलम, (Emp. ID No.- SKN00773), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया Email ID- Irshadalam7294@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

18.9.24
उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 03 / भू0अ0नि0 (5) अपील—33 / 2023......13794......पटना, दिनांक :- 18/09/2024

प्रतिलिपिः— बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

18.9.24

उप निदेशक—सह—
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः— 03 / भू0अ0नि0 (5) अपील—33 / 2023......13794......पटना, दिनांक :—......18/09/2024

प्रतिलिपिः— प्रशाखा पदाधिकारी, भू—अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.9.24

उप निदेशक—सह—
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः— 03 / भू0अ0नि0 (5) अपील—33 / 2023......13794......पटना, दिनांक :—18/09/2024

प्रतिलिपिः— निदेशक कोषांग, भू—अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

18.9.24

उप निदेशक—सह—
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः— 03 / भू0अ0नि0 (5) अपील—33 / 2023......13794......पटना, दिनांक :—18/09/2024

प्रतिलिपिः— अपर मुख्य सचिव—सह—अपीलीय प्राधिकार, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

18.9.24

उप निदेशक—सह—
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः— 03 / भू0अ0नि0 (5) अपील—33 / 2023......13794......पटना, दिनांक :18/09/2024

प्रतिलिपिः— श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू—अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18.9.24

उप निदेशक—सह—
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू—अभिलेख एवं परिमाप